सं0–231 /IV(2)-श0वि0–08–67(सा0)/06

प्रेषक,

सौरभ जैन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक–21 मार्च, 2008

विषयः नगर पालिका परिषद, विकासनगर के अन्तर्गत अवस्थापना विकास निधि से वित्तीय वर्ष–2005–06 में स्वीकृत कार्यों की अवशेष धनराशि की चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 688/V–श0वि0–06–67(सा0)/06, दिनांक 25–3–2006 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नगर पालिका परिषद, विकासनगर जनपद देहरादून के अन्तर्गत रू0–454.55 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए शासनादेश संख्या 801/V–श0वि0–06–66(सा0)/03 टी0सी0 दिनांक 29 मार्च, 2006 के द्वारा रू0 142.60 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। प्रशासक, नगर पालिका परिषद, विकासनगर के पत्र दिनांक 1–3–2008 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 25–3–2006 के द्वारा स्वीकृत क्रमांक–1 तथा क्रमांक–3 के लिए अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग के उपरान्त इन कार्यो की न्यूनतम निविदा के आधार पर बचत धनराशि रू0 1.25 लाख का समायोजन उक्त दोनों कार्यो की धनराशि में करते हुए इन कार्यो की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति क्रमशः 144.30 लाख तथा 86.10 लाख के सापेक्ष उक्त दोनों कार्यो के लिए कुल अवमुक्त रू0 72.67 लाख के उपयोग के उपरान्त इन कार्यो हेतु अब स्वीकृति हेतु अवशेष रू0 157.73 लाख के सापेक्ष रू. 80.00 लाख (रूपये अस्सी लाख मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. उक्त धनराशि रू. 80.00 लाख (रूपये अस्सी लाख मात्र) आपके द्वारा आहरित कर सम्बधित नगर पालिका परिषद को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी, जो शासनादेश की शर्तों का अनुपालन होने तथा कार्य का भौतिक सत्यापन होने पर ही कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त करेंगे।
2. शासनादेश संख्या 688/V–श0वि0–06–67(सा0)/06, दिनांक 25–3–2006 में उल्लिखित अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।
4. सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेगें तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते है तो सम्बन्धित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी।
5. कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

6. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
7. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनोदश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30 मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति के विवरण देने के बाद एवं टैण्डर धनराशि का विवरण देने के बाद ही आगामी किश्त अवमुक्त की जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–2008 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।

2– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 13 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक "2217–शहरी विकास–03– छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–05– नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास" के मानक मद '20 सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता' के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0– 406/XXVII(2)/2008, दिनांक– 29 मार्च, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सौरभ जैन)
अपर सचिव।

सं0– 231 (1)/IV(2)-श0वि0–08,तद्दिनांक।

प्रतिलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तराखण्ड , देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/नगर विकास मंत्री जी।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. जिलाधिकारी, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
9. प्रशासक/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, विकासनगर।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
अनु सचिव।

29-3-2006